1.20 लाख रुपए में फर्जी डिग्री खरीददकर नौकरी पाने वाला बर्खास्त पीटीआई गिरफ्तार

आरोपी पिछले डेढ़ साल से जोधपुर में ठिकाने बदलकर छिप रहा था

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी तरीके से बैक डेट की बीपीएड डिग्री हासिल कर नौकरी पाने वाले बर्खास्त पीटीआई आरोपी चंद्र सिंह पटेल (41) निवासी बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण को स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार किया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग आरोपी को पहले ही पद से बर्खास्त कर चुका था।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में अभ्यर्थियों द्वारा

आरोपी चंद्र सिंह पटेल

दलालों से साठगांठ कर फर्जी और बैक डेट में डिग्रियां प्राप्त करने की शिकायतें मिली थीं। इस संबंध में

- **एसओजी ने इस मामले में अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया**

एसओजी थाना जयपुर में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

पुलिस पूछताछ में चंद्र सिंह पटेल ने कबूल किया कि उसने दलालों बाबूलाल उर्फ बाबू पटेल, प्रदीप कुमार शर्मा और रवि त्यागी के जरिए 1 लाख 20 हजार रुपए देकर उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद स्थित जेएस विश्वविद्यालय से बैक डेट में फर्जी बीपीएड डिग्री हासिल की थी। इसी डिग्री के आधार पर उसका चयन पीटीआई के पद पर हुआ था। मामले में उक्त तीनों दलालों को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

एसओजी की जांच में फर्जी डिग्री का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग ने चंद्र सिंह को पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था।

आरोपी करीब डेढ़ साल से जोधपुर शहर में अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था। एसओजी को उसके ठिकाने की जानकारी मिलने पर जोधपुर ग्रामीण पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एसओजी के अनुसार इस मामले में अब तक ओपीजीएस विश्वविद्यालय, चूरू और जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) के चांसलर/संचालक तथा पूर्व रजिस्ट्रार सहित कुल 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंद्र सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 1 सितंबर 2026 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

एसओजी फिलहाल आरोपी से फर्जी डिग्री तैयार कराने वाले गिरोह में शामिल अन्य दलालों और इस फर्जीवाड़े का लाभ लेकर नौकरी हासिल करने वाले अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है।

जोजड़ी, बांडी और लूणी नदी में प्रदूषण रोकने पर चर्चा

जयपुर । जोजड़ी, बांडी और लूणी नदी में प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष और मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने बैठक ली। बैठक में तीनों नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। प्रदूषण रोकने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि नदियों के संरक्षण, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और पर्यावरण सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है।

बैठक में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल, वन-पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, कृषि-उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पुलिस ने 111 बदमाश दबोचे

जयपुर । संगठित अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जयपुर दक्षिण पुलिस ने एक दिवसीय 'एरिया डोमिनेशन' अभियान चलाकर 111 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में 19 नए आपराधिक मामले भी दर्ज किए। डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि इस अभियान में 25 वांछित आरोपी, 54 को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत, 12 स्थायी वारंटी, 20 गिरफ्तारी वारंटी सहित 111 आरोपी पकड़े गए।

सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन और क्लास रूम में बच्चों को नहीं पढ़ाएं : वी. श्रीनिवास

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को साफ चेताया है कि प्रदेश में कहीं भी जर्जर अथवा असुरक्षित विद्यालय भवनों और कक्षा-कक्षों का उपयोग नहीं किया जाए। सभी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित भवन, स्वच्छ शौचालय, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करें।

मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के 11 अगस्त 2026 के निर्देशों की अनुपालना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में स्कूल, उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विद्यालयों की सुरक्षा, मरम्मत व पुनर्निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग, पेयजल की गुणवत्ता जांच और शौचालयों की साफ-सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा।

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि प्रदेश के 65308 राजकीय विद्यालयों का तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 3768 जर्जर भवन और 83 हजार 783 जर्जर कक्षा-कक्ष चिन्हित हुए हैं। इनके उपयोग पर रोक लगाकर सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों को सुधारने तथा विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाने के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।

- **मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उनके लिए सुरक्षित भवन, स्वच्छ शौचालय, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए**

स्कूल आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 12,335.90 करोड़ रुपए की कार्ययोजना प्रस्तावित है। इसमें 3,587 नए विद्यालय भवन, 22,589 विद्यालयों की वृहद मरम्मत, 83,783 नए कक्षा-कक्ष और 13,616 जर्जर शौचालयों के पुनर्निर्माण का प्रावधान है। इस वर्ष स्कूल आधारभूत संरचना पर 3 हजार करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

विद्यालय भवनों की तकनीकी सुरक्षा जांच के लिए आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है। आईआईटी जोधपुर की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बैठक में वरिष्ठ आईएएस कुलदीप रांका, गायत्री ए. राठौड़ सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ठाकुरजी की पोशाक व श्रृंगार सामग्री खरीदने बाजारों में उमड़े श्रद्धालु

जन्माष्टमी पर बांके बिहारी के स्वागत के लिए सजे बाजार

जयपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर गुलाबी नगरी के बाजारों में जबरदस्त उत्साह और रोनक देखने को मिल रही है। घर-घर में विराजे लड्डू गोपाल (ठाकुरजी) के जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर शहर के मुख्य बाजारों में खासी भीड़ उमड़ रही है। विशेषकर महिला श्रद्धालुओं में ठाकुरजी के शृंगार और नई पोशाकों की खरीदारी को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है।

शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों-परकोटे के छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, पुरोहित जी का कटला, त्रिपोलिया बाजार और राजापार्क सहित विभिन्न इलाकों में सुबह से ही ग्राहकों की चहल-पहल शुरू हो जाती है। शाम होते-होते बाजारों में जय श्री कृष्णा के जयकारों के साथ खरीदारी का जोर पकड़ लेता है, जिससे बाजारों में अच्छी-खासी भीड़ भड़का देखने को मिल रहा है।

जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दुकानदारों ने भी लड्डू गोपाल के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी और कलात्मक सामान सजाया है। महिलाएं ठाकुरजी के लिए रेशमी, जरी-गोटेदार, मोती वर्क और कसीदाकारी वाली विशेष पोशाकें खरीद रही हैं। पोशाक के साथ-साथ ठाकुरजी के शृंगार के लिए मुकुट, मोरपंख, बांसुरी, कुंडल, माला, बाजूबंद और पायजेब की जमकर बिक्री हो रही है।

जन्माष्टमी पर नंदलाल को झुलाने के लिए बाजार में लकड़ी, पीतल, स्टील और मखमली कपड़ों से सजे आकर्षक झूले उपलब्ध हैं। इसके साथ ही घरों में सजने वाली झांकियों के लिए माखन मटकी, गाय-बछड़े की मूर्तियां, लाइटों की सजावट और रंग-बिरंगे बैकड्रॉप की भी महिलाओं द्वारा खूब खरीदारी की जा रही है।

राजस्थान में जून तक 10.93 करोड़ से ज्यादा पर्यटक भ्रमण के लिए आए

जयपुर। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र तेजी से विस्तार ले रहा है। जून 2026 तक 10.85 करोड़ घरेलू और 8.45 लाख विदेशी पर्यटक प्रदेश पहुंचे। वर्ष 2024 में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की यात्राओं के मामले में राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर रहा। जबकि वर्ष 2025 में 25.25 करोड़ घरेलू और 19.45 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पर्यटन को अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने पर जोर दे रही है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं एवं आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रस्तावित हैं। पर्यटन इकाई नीति-2024, पर्यटन नीति-2025 और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025 के जरिए निवेश व रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जयपुर में आईफा अवार्ड के 25वें समारोह और पहली बार आयोजित "वेड इन इंडिया एक्सपो" से राजस्थान की वैश्विक पर्यटन ब्रांडिंग को मजबूती मिली। 2024-25 में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट और इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एवं अवार्ड भी आयोजित हुए। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक सहायता बल ने फरवरी 2024 से अभियान चलाकर करीब 1583 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।

नोटिस बनाम हर खास व आम
न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं. 2 हिण्डौन सिटी
पीठासीन अधिकारी श्रीसुमरथ लाल मीना (जि.जज. कैडर) मु.नं. 25/26 339/27.8.26
ओमप्रकाश बनाम हरखास व आम
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-372 भा.उ. अधि.
नोटिस बनाम हर खास व आम
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ओमप्रकाश बंसल पुत्र रामस्वरूप, निवासी मोहन नगर, हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज.) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पिता रामस्वरूप पुत्र गिर्राज निवासी मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.) की मृत्यु दिनांक 25.03.01 को हो जाने पर उनके बैंक ऑफ बड़ौदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के शेयरों का भुगतान प्राप्त करने के लिये उत्तराधिकार प्रमाण प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में आपत्ति हो तो वह अपनी उपस्थिति इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2026 को समय 10.30 ए.एम. को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, वरना गुजरने उक्त दिनांक कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं प्रार्थना-पत्र एकतरफा में सुनकर फैसला कर दिया जावेगा। मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.8.2026 को जारी किया गया।
(मुहर) आज्ञा से
सीनीयर रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.-2
हिण्डौन सिटी (करौली)

आम सूचना सर्वसाधारण को यह सुचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य राशिद खांन पुत्र श्री इलियास खांन निवासी ई-8, हसनपुरा-ए, जयपुर का पुत्र अमन खांन एवं उसकी पत्नि तमन्ना मेरे मुवक्किल के कहने मे नही है तथा दोनो मिलकर आये दिन मेरे मुवक्किल से दुर्व्यवहार करते है, बेइज्जती करते है, मेरे मुवक्किल की संपति मे जबरन कब्जा कर रखा है तथा मेरे मुवक्किल को झूठे मुकदमे मे फंसाने की धमकी देते है, इसलिए मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र अमन खांन एवं उसकी पत्नि तमन्ना को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, आज से अमन खांन एवं उसकी पत्नि तमन्ना का मेरे मुवक्किल की समस्त चल-अचल संपत्ति एवं भविष्य मे अर्जित होने वाली चल-अचल संपत्ति से कोई संबंध व हक अधिकार नही रहा है तथा इन दोनो के द्वारा किसी भी व्यक्ति से किये जाने वाले संव्यवहार, लेन-देन तथा आपराधिक कृत्य व कार्यो के बारे मे मेरे मुवक्किल की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी। अतः सूचित रहें।
(अब्दुल सलीम खांन) एडवोकेट, मो. नं. 9829098127

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर- 0141-4901853
क्रमांक:3083 आम जाहिर-सूचना दिनांक:31.08.2026
राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फ्लैट संख्या-4/C/67 (GF) इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर का आवंटन श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री रमेश चन्द को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 7055 दिनांक 13/11/2013 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 9073 दिनांक 31/12/2013 जारी किया गया था। उनके द्वारा फ्लैट का भौतिक कब्जा दिनांक 14/05/2015 को प्राप्त कर लिया गया था। मूल आवंटी श्रीमती शान्ती देवी की मृत्यु दिनांक 22/08/2025 को हो जाने के कारण श्री प्रवीण कुमार गर्ग पुत्र श्री रमेश चन्द के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री प्रवीण कुमार गर्ग पुत्र श्री रमेश चन्द के पक्ष में फ्लैट के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

NORTH WESTERN RAILWAY
(RFP Notice No. NWR/SC/JU/26-27/ EPC-II/01 Dated 14.08.2026)
In respect of RFP mentioned above for **"Execution of Balance Works for Major Redevelopment of Jodhpur Railway Station of North Western Railways on Engineering Procurement & Construction (EPC)".**
CORRIGENDUM NO. 1
The schedule of e-bidding process is amended as under:- **Sr. No.** 1, **Event Description:** Bidding Start Date, **Existing Dates:** 02/09/2026, **Amended Dated:** 09/09/2026; **Sr. No.** 2, **Event Description:** Tender Closing Date Time, **Existing Dates:** 16/09/2026 15:00, **Amended Dated:** 23/09/2026 15:00. **NOTE:** i. Bidder have to downloaded the Bid documents from the e-procurement portal i.e. www.ireps.gov.in. After registering themselves on portal and after payment of tender processing Fee and Bid Document Fee before last date & time of downloading the e-bids online. ii. All bidders are advised to see Amendments and/or Corrigendum to RFP, if any, before submission of the e-bids. In case the bidder does not submit the amended bid/amendments, it will be presumed that bidder has seen the amendments/ corrigendum and bid and e-bid will be evaluated accordingly. The decision of Railway shall be final and binding. iii. Any corrigendum to this RFP Notice, if any would appear only on above mentioned websites and will not be published in newspapers. This document will form a part of tender document. All other details of original tender documents remain unchanged.
1275-PH/26
Follow us on /NWRailways NWRailways_

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 3579 दिनांक :- 01/09/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास / फ्लैट संख्या 161/49 (LIG) का आवंटन श्री विक्रम कुमार भट्ट पुत्र श्री गोवर्धन लाल रा. भट्ट को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 993 दिनांक 31.05.2000 को जारी किया गया था। श्री विक्रम कुमार भट्ट की मृत्यु दिनांक 10.05.2003 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती धनवन्ती भट्ट पत्नी स्व. श्री विक्रम कुमार भट्ट द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मण्डल रिकार्ड मे इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 10802 दिनांक 28.02.2006 के द्वारा इनका नाम दर्ज किया गया तथा इनके पक्ष मे पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन दिनांक 27.03.2006 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम मे पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती धनवन्ती भट्ट द्वारा श्री भंवर लाल शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा को दिनांक 27.03.2006 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री भंवर लाल शर्मा द्वारा मुख्यारआम की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्री अशोक कुमार निभवानी पुत्र स्व. श्री किशन चन्द निभवानी को विक्रय कर इनके पक्ष मे विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2006 को उप पंजीयक (उत्तर) जयपुर, मे पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / क्रेती श्री अशोक कुमार निभवानी पुत्र स्व. श्री किशन चन्द निभवानी द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री अशोक कुमार निभवानी पुत्र स्व. श्री किशन चन्द निभवानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

खोया पाया
आवास संख्या 42/88/8 मानसरोवर जयपुर का मूल आवटन पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करे। कुलदीप सिंह यादव मो. 9414783724

नाम परिवर्तन
मेरा पासपोर्ट में नाम उषा (USHA) दर्ज है वह सभी दस्तावेज , आधार में उषा बैरवा है यह दोनों नाम मेरे हैं। मुझे भविष्य में उषा बैरवा धर्मपत्नी विजय कुमार के नाम से जाना पहचाना जाए 9351833788

I have changed my name from Gopal Maheshwari S/o Chand Prakash to Shrigopal Soni S/o Chandra Prakash Soni R/o Flat No 503, Plot No 5/H/II/R, Imperial Garden, Vidyadhar Nagar, Jaipur. For all purpose.

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचण्ड जीत होगी : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्य सभा सांसद मदन राठौड़ ने निकाय चुनाव में भाजपा को जनता का अभुतपूर्व समर्थन मिलने और प्रचण्ड जीत का दावा किया। उन्होने कहा कि कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक एवं जनता के मध्य प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यो का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। कांग्रेस सरकार के समय निकायों के चुनाव में जिस तरह तुष्टिकरण करते हुए वार्डो का गठन हुआ और शहरी विकास के कार्यो को ठप कर दिया, उसे जनता भूली नहीं है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के निकायों में कट, कमीशन का खेल चलता रहा है। क्योकि कांग्रेस कट कमीशन में विश्वास रखती है और भाजपा जनता की सेवा के मिशन में विश्वास करती है। भाजपा की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित किये है। जो काम कांग्रेस सरकार ने पांच साल में नही किये उनसे अधिक काम 31 महीने के कार्यकाल में किये है।

हैतुक दर्शित करने के लिये सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4
न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश क्रम-5 जयपुर महानगर, (प्रथम)
सुरेश चन्द गुर्जर बनाम श्रीमती सन्तोष गुर्जर वगै
Case No. 187/26
U/S 13 HMA
श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री सुरेश चन्द गुर्जर पुत्री स्व. श्री राम करण गुर्जर जयपुर, (राजस्थान) निवासिनी - गुर्जरों का मौहल्ला, पोस्ट ऑफिस के सामने कालवाड, जयपुर (राजस्थान) मो- 7014635877
उक्त प्रार्थी नें इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिये दिनांक 02 माह 09 सन 2026 को 10.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 17 माह 07 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।
मोहर अदालत
न्यायालय-वरिष्ठ मुंसरिम
पारिवारिक न्यायालय क्रम-5
जयपुर महानगर प्रथम

(नियम 130 व 131)
अपील की सूचना के अन्तर्गत धारा 426 (1) बी.एन.एस.एस. 2023
न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
दिनांक : 25/08/2025
अपील / निगरानी सं.73/2025
मनोज कुमार जांगिड़ बनाम खेमचन्द ठठेरा वगै.
अपील / निगरानी विरुद्ध निर्णय दिनांक 3/10/2025 के न्यायालय ए सी जे एम नं. 3 जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय मुकदमा नं. मुकदमा नंबर 108/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 316(2),318(2),318 (4) 61(2) (ए) बी.एन.एस 2023 अन्तर्गत धारा बी.एन.एस 2023 को धारा 426 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि अपीलाण्ट को उपरोक्त अपील / रिविजन इस न्यायालय में दिनांक 19/9/26 बजे 10.00 को सुनी एवं निर्णीत की जावेगी।
बनाम-रौनक अली पुत्र श्री अब्दुल रफीक पार्टनर एच.एम.टी. इन्टरनेशनल, कार्यालय प्लाट नं.60-ए, मल्हौत्रा नगर विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर
मोहर अदालत
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

सिविल न्यायाधिश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
लक्ष्मण सिंह व अन्य बनाम सत्य नारायण मिश्रा व अन्य
प्रतिनिधित्व वाद (नोटिस अन्तर्गत आदेश-1 नियम-8 सीपीसी)
वादीगण ने म्यूनिसपल नंबर 3746, नाहरगढ़ रोड, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर के संदर्भ में वादीगण ने एक प्रतिनिधित्व वाद प्रस्तुत किया है जिस कारण सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वाद में पक्षकार बनना चाहता है तो वह पेशी 02/7/26 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार के रूप में संयोजित हो सकते है भविष्य में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आदेश आज दिनांक 19/8/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की की मुद्रा से जारी किया गया है।
मोहर अदालत
प्रस्तुतकार
सिविल न्यायाधिश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 78/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल अध्यक्ष ने पंजीकृत प्रन्यास यूनियन फुटबाल क्लब, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 370/2025 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री किशोर कुमार शर्मा को क्लब का स्थाई संचालन समिति का सदस्य व श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल अध्यक्ष, श्री महिपाल स्वामी सचिव, सुश्री आशा शर्मा स. सचिव, सुश्री भव्या राजावत कोषाध्यक्ष, श्री सनी सविस्टिन उपाध्यक्ष, श्री अनिल शर्मा उपाध्यक्ष को मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड मे दर्ज अभिलेख करने हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.09.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

तेहरवीं पुण्यतिथि

श्रीमती अन्नो देवी बैद
01.09.1944 - 02.09.2013
धर्मपत्नी स्व.श्री कैलाश चन्द बैद
आपके चरणों में सदैव नमन
श्रद्धानवत :
राजकुमार-राजकुमारी बैद, आशीष-डॉ. शिप्रा बैद (पुत्र-पुत्रवधू), तारा-देवेन्द्र बाकलीवाल, अन्जना-कमल बडजात्या (पुत्री-दामाद), गौतम, हार्दिक, तनिष्क (पौत्र), डॉ. रिया - डॉ तनमय (पौत्री-दामाद), कोविद-निधी बाकलीवाल (दोहिता-वधू), परिधि, सलोनी (दोहिती) एवं समस्त बैद परिवार बडियाल वाले
पीहर पक्ष: सुरेन्द्र कुमार -सुमन जैन एवं समस्त पाटोदी परिवार
रिषभ एडवरटाईजिंग एजेन्सी
राजस्थान एडवरटाईजिंग एजेन्सी

कार्यालय नगरपरिषद् कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
Email :eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in
munibkcity@gmail.com
फोन नं. 01586-220022
01586-221526
क्रमांक :- न.प.कु./2026-27/798 आपत्ति आमन्त्रण सूचना दिनांक :-25.08.2026
सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदको द्वारा पालिका में निम्न रूप से उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिये आवेदक प्रस्तुत किया है। पालिका द्वारा आवेदित प्रयोजनार्थ के तहत प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। निम्न प्रकरणों में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिंनाक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें, अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में भूमि आवंटन पट्टा/जारी कर दिया जावेगा।

क्र. स.	पत्रावली सं.	प्रयोजन	आवेदक का नाम/पिता का नाम व पता	क्षैत्रफल वर्गगज में	खसरा नं., कॉलोनी/मौहल्ला का नाम
1.	196/2026-27	नामान्तरण	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र इन्द्रचन्द शर्मा	277.77	अशोक नगर, वी.टी. स्कुल के पास
2.	203/2026-27	नामान्तरण	श्रीमती रामप्यारी पत्नी देवीलाल जाट	140.00	मधुवन वाटिका
3.	68/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्रीमती निशा मंत्री पत्नी कपिल मंत्री	3828.00	बसंत विहार, स्टेशन रोड़
4.	69/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल जांगीड़	100.00	शिव नगर, पनवाड़ी
5.	70/2026-27	निर्माण ईजाज